पंजीकृत इकाइयों/निर्धारितियों के नाम बकाया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कुल राशि 2658.47 करोड़ रुपये है ।

(ग) बकाया राशियों में वसूल करने के लिए कानून के तहत उपलब्ध विभिन्न प्रशासनिक तथा अन्य उपाय किये जाते हैं । अपीलीय प्राधिकारियों तथा न्यायालयों में अनिर्णीत पड मामलों के निपटान कार्य में तेजी लाने के लिए विशेष रूप से निम्न-लिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(i) अपीलीय समाहर्ताओं द्वारा मामलों के निपटान कार्य की लगातार समीक्षा और मानीटरिंग ;

(ii) महत्वपूर्ण मामलों में से पेश होने के लिए विशेष फीस/अधिक फीस/ वाले वकीलों की नियुक्ति करना ।

(iii) एक पक्षीय स्थगन आदेशों को रद्द करवाने के लिए केविएट दायर करना ।

(iv) एक जैसे मामलों के एक साथ शीघ्र निपटान के लिए उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के पंजीयकों को मामले-वार मामलों की सूचियां उपलब्ध कराना ।

(v) स्थगन आदेशों की रद्द करवाने के लिए आवेदन दायर करना ।

(vi) केवल सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क के मामलों पर विचार करने के लिए ही अलग से पीठों की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध करने हेतु प्रधान समाहर्ताओं तथा समाहर्ताओं द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से मिलना ।

(vii) विधि सचिव तथा विधि मंत्रालय के केन्द्रीय एजेन्सी अनुभाग के अन्य अधिकारियों के स्तर पर अधिक पुनरीक्षा बैठकें भी की जाती हैं ।

(viii) उन शुल्कों की विलम्बित अदायगी पर ब्याज लेने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के संगत उपबंधों को संशोधित करने के लिए वित्त विधेयक, 1995 में भी प्रस्ताव किया गया है, जिनकी पुष्टि करदी गयी है ।

बैंकों की सुरक्षा

1054. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों को सुरक्षा प्रदान कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) बैंकों के करेंसी चेस्टों सहित महत्वपूर्ण अधिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है । इस समय, भारतीय स्टेट बैंक के कुछ करेंसी चेस्टों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के करेंसी चेस्टों की सुरक्षा राज्य पुलिस या पंजाब में आई टी बी पी और सी आर पी एफ/बी एस एफ जैसे अन्य अर्ध-सैनिक बलों द्वारा की जाती है, जो करेंसी चेस्टों के परिचालन क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखाओं की सुरक्षा बैंकों के अपने गार्डों द्वारा की जाती है ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अपवंचन के मामलों में, विभागीय जांच

1055. **श्री आस मोहम्मद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध विभागीय तथा/अथवा अदालतों में ऐसे मामलों में कार्यवाही की जा रही है जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा/अथवा सीमा शुल्क अपवंचन सौ करोड़ रु. से अधिक है ;

(ख) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध इस तरह के मामले सी. ई० जी. एल टी. उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस धनराशि को शीघ्र वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा "टर्न एराउंड योजना" को प्राप्त किया जाना

1056. **श्री आस मोहम्मद** :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को एच० ई० सी० की टर्न एराउंड योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त बैंक द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) द्वारा प्रचालन एजेंसी (ओ ए) के रूप में नियुक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि उसे हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एच ई सी) से संशोधित टर्न-एराउंड योजना प्राप्त हुई है । बाइफर ने एच ई सी के मामले की आखिरी बार 7 मार्च, 1995 को उस समय सुनवाई की थी जब ओ ए ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि पुनर्वास की लागत को पूरा करने के लिए कंपनी ने अपेक्षित वित्तीय राशि एकत्र नहीं की थी । बाइफर ने बोर्ड /ओ.ए. के पास संशोधित पुनरुद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उद्योग मंत्रालय को 7 अप्रैल, 1995 तक का समय मंजूर किया है ।

Wages for Bank Employees

1057 SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the 'Indian Express' dated 9-10-94 under the caption "Wages for bank employees revised".

(b) if so, what are the details in this respect;

(c) the cost on the national exchequer for the 10 lakh bank employees;

(d) whether it is a fact that the agreement for bank employees is for a period of five years, while the Central Pay Commission is to be set up for the Central Government Employees after every 10 years;

(e) if so, the reasons therefor; and

(f) the steps taken by Government to provide equal salaries and other facilities to both Central Government employees and Public Sector Undertakings employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASEKHARA MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) The salient features of the Settlement are annexed as Statement. (*See* below).

(c) The wage revision for the workmen employees will have incremental impact of 10.5 per cent on the existing wage bill. The cost in terms of the quantum would be approximately Rs. 388 crores p.a. The cost on account of arrears has been staggered so as to even out the impact. Discussions regarding wage revision for officers are in progress.

(d) to (f) Information is being collected and, to the extent available, will be laid on the Table of the House.